न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 259/2023

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान :–

प्रार्थीगणः– 1. जलाल 2.कुरबान पुत्र ईमामदीन माता करामत 3.मीयाखान पुत्र मुहीबखान 4.हासमी पत्नि मुहीब खान जाति सिंधी मुसलमान, निवासी धनाऊ तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगणः– 1.हाजरों पुत्री वाला, जाति सिंधी मुसलमान, निवासी धनाऊ
2.आफीसर कमाण्डींग 96 आर.सी.सी. बाड़मेर ग्रेफ
3.तहसीलदार धनाऊ

अधिवक्तागण –

प्रार्थीगण :– **श्री ईलमखान समेजा**
विप्रार्थीगण :–

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 06.09.2024

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि मौजा धनाऊ , तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर में खसरा सं. 719/451 रकबा 3.9659 हैक्टयर की आई हुई है। इसी के मूल खसरा सं. 451 में कटाण सड़क की भूमि आई हुई है। जो सा.नि.वि. के नाम से खातेदारी में खसरा सं. 720/451 रकबा 00.5666 हैक्टयर है। उक्त वादग्रस्त भूमि ... है, प्रार्थीगण स्व. करामत के वारिसान है जिनका देहांत हो चुका है ... फौतगी नामान्तरकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे पारित नहीं हो पाया है। ... उक्त भूमि पर पैतृक रूप से कब्जा काश्त है, प्रार्थीगण की रहवासी ढाणिया मौके पर बनी हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:06:42 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान में आनलाईन राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों ने त्रृटिवश प्रार्थीगण का कब्जा काश्त मौके पर बनी हुई सड़क को नजरअन्दाज कर गलत तरमीम कर दी

उपखण्ड अधिकारी

जिसकी वजह से प्रार्थीगण का मौके व रेकर्ड की स्थिति में बदलाव हो गया है, उक्त गलत तरमीम की दुरस्ती प्रार्थीगण करवाना चाहता है जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रार्थीगण वकील की ओर से तरमीम दुरस्ती संबंधी रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया गया जिसे स्वीकार कर तरमीम दुरस्ती संबंधी रिपोर्ट हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा गया। विप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब पेश किया गया।

तहसीलदार धनाऊ से रिपोर्ट प्राप्त हुई लेकिन स्पष्ट अनुसंषा नहीं होने से पुनः तरमीम दुरस्ती संबंधी रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को लिखा गया, तहसीलदार से पुनः रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली किया गया।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी । बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील धनाऊ के मौजा धनाऊ के खसरा सं. 719/451 रकबा 03.9659 हैक्टयर एवं खसरा सं. 720/451 रकबा 00.5666 हैक्टयर भूमि की तरमीम तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 में सलंग्न नक्शा के परिशिष्ट ब अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार धनाऊ से प्राप्त रिपोर्ट मय फर्द निर्णय का अनिवाय अंग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:06:42 IST
Reason: SelfAttested

(सूजरभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

N
S

आंशिक नक्शा ट्रेस
ग्राम धनाऊ

परिशिष्ट "अ"
वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिति

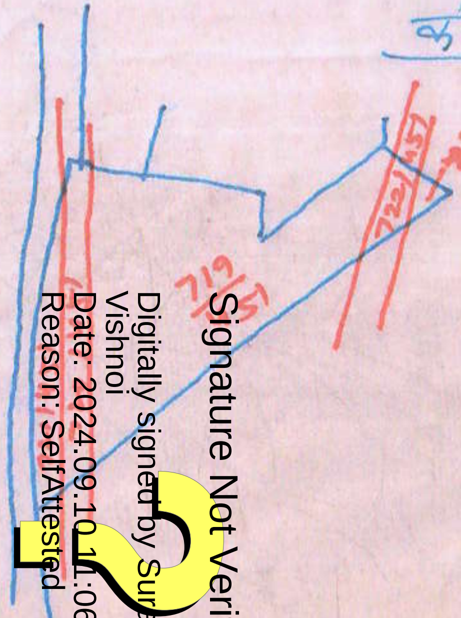

परिशिष्ट "ब"
प्रस्तावित स्थिति

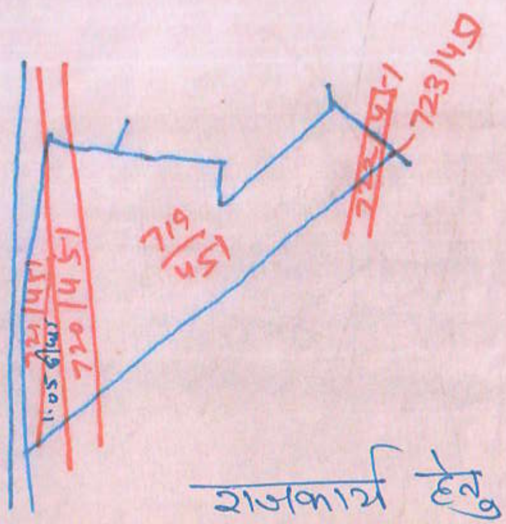

राजकार्य हेतु निशुल्क जारी

04-1-24
(जोगाराम)
पटवारी (भू.अ.) धनाऊ
तहसील धनाऊ (बाड़मेर)

Ex-count

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

(जोगाराम)
पटवारी (भू.अ.) धनाऊ
तहसील धनाऊ (बाड़मेर)

C.S

तहसीलदार धनाऊ

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.09.10 11:06:42 IST
Reason: SelfAttested